

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), म०प्र० भोपाल

क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/35/1766

भोपाल, दिनांक 04/05/2001

प्रति,

वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल
मध्य प्रदेश

विषय :- विश्राम घाट हेतु जलाऊ लकड़ी की दरों के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./राजस्व/769 दिनांक 11/04/2001.

----0----

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में म०प्र० शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7/22/93/10/3 दिनांक 20-8-96 के तारतम्य में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक अप्रमुवसं/उत्पा/निस्तार/80/267 दिनांक 18-1-2000 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है कि शमशान घाट हेतु प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत या रायल्टी सहित कुल विभागीय व्यय दोनों में से जो भी अधिक हो के आधार पर फुटकर विक्रेताओं को प्रदाय किया जावेगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

प्रारूप मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
द्वारा अनुमादित,

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र० भोपाल